## <u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण कः - 416 / 13</u> <u>संस्थापन दिनांकः - 04 / 10 / 13</u> फाईलिंग नं. 233504000562013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

#### वि रू द्व

सोनू पिता लक्ष्मण राठौर, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड क. 02, इतवारी चौक आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

# <u>-: ( निर्णय ) :-</u>

## (आज दिनांक 11.03.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 20.09.2013 को समय 09:20 बजे या उसके लगभग पेट्रोल पम्प के आगे आम रोड थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की तलवार जैसी छुरी जिसकी कुल लंबाई 21½ इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 20.09. 2013 को सहायक उप निरीक्षक एस.एस. मिश्रा को जिरए टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त मोटर सायिकल से आविरया रोड तरफ से आ रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु वह हमराह आरक्षक एवं रहागीर साक्षी के आम रोड आविरया पेट्रोल पम्प के आगे पहुंचा जहां उसे मोटर सायिकल आते दिखी जिसे रोककर पकड़कर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सोनू पिता लक्ष्मण राठौर बताया। अभियुक्त की तलाशी लिये जाने पर उसकी पीठ में एक तलवारनुमा छुरी मिली जिस पर गवाहों के समक्ष अभियुक्त से लोहे की छुरी एवं मोटर सायिकल जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 335/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

## 4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.09.2013 को समय 09:20 बजे या उसके लगभग पेद्रोल पम्प के आगे आम रोड थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की तलवार जैसी छुरी जिसकी कुल लंबाई 21½ इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

## ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 एस.एस. मिश्रा (अ.सा.—2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 20.09. 2013 को थाना आमला में ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे फोन पर सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथ आविरया रोड पेट्रोल पम्प के पास पहुंचा जहां उसे अभियुक्त मोटर सायिकल से आते दिखा जिसे उसने गवाहों की मदद से पकड़ा एवं नाम पता पूछा तथा अभियुक्त के कब्जे से उसकी पीठ में खुची एक लोहे की तलवार जैसी छुरी एवं मोटर सायिकल जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क. 333/13 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—4) लेख की थी।
- 6 मुकेश (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त से जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इनकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उसके कथन से प्रकट नहीं हुए हैं।
- 7 साक्षी पिंटू (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना वर्ष 2013 की रात में 9—9.30 बजे की आविरया पेट्रोल पम्प के पास की है। घटना के समय उसके समक्ष अभियुक्त से तलवारनुमा हथियार जप्त किया गया था। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। मुकेश (अ.सा.—1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफतारी से इंकार किया है परंतु साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री—2) पर उसके

हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुआ है। साक्षी पिंटू (अ.सा.—3) ने प्रतिपरीक्षण में पैरा क. 03 में यह बताया है कि उसके सामने पुलिस ने अभियुक्त से कोई तलवार जप्त नहीं की थी और जब उससे कागजों पर हस्ताक्षर लिये थे तब अभियुक्त उसके सामने नहीं था। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है जिससे वह विश्वसनीय नहीं रह जाता है। अतः उपर्युक्त दोनों साक्षीगण के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

- 8 अभिलेख पर विवेचक एस.एस. मिश्रा (अ.सा.—2) की साक्ष्य उपलब्ध है जिसके संबंध में न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई. आर.1973 एससी 2783 अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।
- 9 एस.एस. मिश्रा (अ.सा.—2) ने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में सूचना प्राप्त होने पर हमराह आरक्षक जािकर के साथ मौके पर जाना और रास्ते से रहागीर मुकेश एवं पिंटू को साथ में लेकर जाना। तत्पश्चात मौके पर अभियुक्त की मोटर सायिकल रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर उसके आधिपत्य से एक लोहे की तलवार जैसी लंबी छुरी जप्त किया जाना, उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाने आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में साक्षी ने यह सही होना बताया है कि उसे मुखबिर के द्वारा यह सूचना नहीं मिली थी कि अभियुक्त हाथ में छुरी लिये लोक स्थान पर लोगों को डरा धमका रहा है। साक्षी ने इसी पैरा में यह भी बताया है कि उसने मौके पर यह नहीं देखा था कि अभियुक्त ने मौके पर किसी को डराया धमकाया हो। उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्त मोटर सायिकल से घटना स्थल की ओर आ रहा था। उसे रोककर पूछताछ कर तलाशी लिये जाने पर उसके पास से हिथयार मिला था।
- 10 जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री—1) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती किये जाने के उपरांत उसे मौके पर सीलबंद किया गया हो और न ही किसी स्वतंत्र साक्षी ने अपने समक्ष जप्ती का समर्थन भी किया है। जप्ती पत्रक में जप्ती का समय 09:20 बजे लेख है एवं गिरफ्तारी पत्रक में गिरफ्तारी का समय 09:30 बजे लेख है। विवेचक साक्षी एस.एस. मिश्रा (अ.सा.—2) के अनुसार मौके पर अभियुक्त मोटर सायिकल से आ रहा था, उसकी मोटर सायिकल को रोका, उससे पूछताछ की गयी इसके बाद अभियुक्त की तलाशी ली गयी। तलाशी लिये जाने पर उसके पास से हथियार मिला। तब ऐसी परिस्थितियों में मात्र 10 मिनट में जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाना अस्वाभाविक प्रतीत होता है जो कि जप्ती की कार्यवाही को संदिग्ध बना देती है। साथ ही अभियोजन कथा अनुसार मुखबिर से केवल इतनी ही सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियुक्त मोटर सायिकल से आमला तरफ आ रहा है।

विवेचक साक्षी के कथनों से ऐसा कहीं भी प्रकट नहीं हो रहा है कि जप्तशुदा आयुध की उसके द्वारा नापजोप की गयी हो और जप्त करने के उपरांत उसे सीलबंद किया गया हो। तब उपर्युक्त परिस्थितियों में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कथित आयुध वहीं है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था। अतः अभियुक्त से आयुध की जप्ती संदेहास्पद होने से उसे संदेह का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

- 11 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 20.09.2013 को समय 09:20 बजे या उसके लगभग पेट्रोल पम्प के आगे आम रोड थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की तलवार जैसी छुरी जिसकी कुल लंबाई 21½ इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त सोनू को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 12 प्रकरण में जप्त सुदा तलवारनुमा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे एवं जप्तशुदा हीरो होंडा मोटर सायिकल जिसका इंजिन नंबर HA10ENDHF-27362 चेचिस नंबर MBLHA10AWDHF 13947 आवेदक सोनू उर्फ रमेश पिता लक्ष्मण को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)